

आवेदन फॉर्म न. :-.....

आवेदन-प्रपत्र

दूध जलेबी एवं अन्य अनुमत खाद्य उत्पाद निर्माण कर बिक्री कार्य

- 1) आवेदन सूचना :- उदय/डेयरी/विपणन/2025-26/3300 दिनांक 09.01.2026
दूध जलेबी, पनीर पकौडा, आलू पनीर समोसा, दूध, पनीर वेज पिज्जा एवं पनीर मसाला डोसा, पॉव-भाजी, पनीर चिल्ली, छोला-भटूरा, ग्रील सेन्डवीच, कोल्ड
- 2) आवेदन विषय :- कॉफी विद आईसक्रीम इत्यादि अनुमत उत्पाद बनाकर बिक्री कार्य
- 3) आवेदन-प्रपत्र क्रय करने की तिथि :- दिनांक 05.02.2026 समय दोपहर 1.00 बजे तक
- 4) आवेदन-प्रपत्र पुनः कार्यालय में जमा करवाने की तिथि :- दिनांक 05.02.2026 समय दोपहर 3.00 बजे तक
- 5) आवेदन-प्रपत्र खोलने की तिथि :- दिनांक 06.02.2026 समय दोपहर 2.00 बजे
- 6) उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण :- शबरी पार्लर पर निर्धारित दिनांक को सूचित कर दिया जावेगा।
- 7) आवेदन-प्रपत्र शुल्क :- रुपये 590/- (पाँच सौ नब्बे रुपये मात्र)(जी.एस.टी सहित)
:- ☐ शबरी पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए।
:- ☐ किसान मिल्क पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए।
:- ☐ दोनो पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए।
(शबरी पार्लर व किसान मिल्क पार्लर पर)
:- रुपये 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) केवल बैंक डी.डी द्वारा ही स्वीकार (शबरी पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
:- रुपये 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) केवल बैंक डी.डी द्वारा ही स्वीकार (किसान मिल्क पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
:- रुपये 20000/- (बीस हजार रुपये मात्र) केवल बैंक डी.डी द्वारा ही स्वीकार (दोनो पार्लर (शबरी पार्लर व किसान मिल्क पार्लर) पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
:- रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र कार्य आरम्भ करने से पूर्व (शबरी पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
:- रुपये 75,000/- (पिच्चौतर हजार रुपये मात्र कार्य आरम्भ करने से पूर्व (किसान मिल्क पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
- 9) आवेदन के साथ धरोहर राशि :- रुपये 1,75,000/- (एक लाख पिच्चौतर हजार रुपये मात्र कार्य आरम्भ करने से पूर्व (दोनो पार्लर पर दूध जलेबी काउन्टर के लिए)।
- 10) अमानत राशि :-
- 11) वैधता (आवेदन) :- आवेदन खुलने की दिनांक से 3 माह तक।
- 12) अनुबन्ध अवधि :- एक वर्ष।

नोट :- डाउनलोड किये गये आवेदन-फॉर्म के साथ आवेदन शुल्क रु 590/- का डी0डी0 अनिवार्य रूप से संलग्न किया गया हो अन्यथा आवेदन-फॉर्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर
 गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
 फोन नं. :- 2640188 मेल आइडी : saras@milk union udaipur.com

आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावें

(13) संघ में जमा करायी गयी राशि का विवरण :-

1	आवेदन शुल्क रुपये	:- 590/-	कैश रसीद न. :-		दिनांक :-
		अथवा	डिमांड ड्राफ्ट न. :-		दिनांक :-
2	धरोहर राशि रुपये	:- 10000/-	डिमांड ड्राफ्ट न. :-		दिनांक :-
		:- 10000/-	डिमांड ड्राफ्ट न. :-		दिनांक :-
		:- 20000/-	डिमांड ड्राफ्ट न. :-		दिनांक :-

डिमांड ड्राफ्ट, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के नाम से देय हो तथा आवेदन के भाग-अ के साथ संलग्न किया गया हो।

- (14) प्रपत्र के साथ संलग्न भाग-अ की सभी आवश्यक जानकारी पढ़ने के पश्चात साफ, स्वच्छ लिपी में पूर्ण रूप से भरा जावें। तकनीकी भाग-अ के साथ सभी दस्तावेजों को स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण कर प्रति साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
- (15) भाग-‘अ’ में चयनित आवेदक के बनाये उत्पादों का उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण तय समय पर शबरी मिल्क पार्लर, उदयपुर डेयरी परिसर पर किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दूध जलेबी एवं अन्य अनुमत खाद्य उत्पाद निर्माण कर बिक्री कार्य

भाग- अ (तकनीकी)

(निम्नलिखित सूचनाएँ आवेदक द्वारा सावधानी से एवं स्वच्छ लिपी में भरी जानी है।)

1. किस दूध जलेबी काउन्टर जिसके लिये आवेदन किया गया।
☐ शबरी पार्लर दूध जलेबी काउन्टर ☐ किसान मिल्क पार्लर दूध जलेबी काउन्टर
☐ दोनों पार्लर दूध जलेबी काउन्टर के लिये।
(आगे बने बॉक्स पर सही (✓) का चिन्ह लगाये)।
2. निविदा-कर्ता/फर्म का नाम:-.....
पार्टनरशिप/प्रतिनिधित्व यदि हो तो आवश्यक दस्तावेज :-..... (छायाप्रति संलग्न करें)
3. पिता का नाम :-.....
4. आवेदन-कर्ता/फर्म स्थायी पता :-.....
5. टेलीफोन न. :-.....
6. मोबाईल न. :-.....
7. ई-मेल :-.....
8. जी0एस0टी0 नं. :-..... (छायाप्रति संलग्न करें)
9. पैन कार्ड न0 :-..... (छायाप्रति संलग्न करें)
10. (1) वर्तमान में किये जा रहे व्यवसाय का नाम एवं पता :-.....
(2) वर्तमान में उपलब्ध एवं कार्यरत श्रमिक.....
11. व्यवसायिक अनुभव का विवरण :- (छायाप्रति संलग्न करें)
12. पूर्व व्यवसाय से बिक्री एवं प्राप्तियाँ :-
13. पूर्व के तीन वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न (2022-23, 2023-24, 2024-25) :- (छायाप्रति संलग्न करें)
(INCOME TAX RETURN of "last three Assessment years" 2022-23, 2023-24, 2024-25)
14. खाद्य अनुज्ञा-पत्र (FSSAI) :- (छायाप्रति संलग्न करें)
खाद्य अनुज्ञा-पत्र ना होने पर सफल आवेदककर्ता को संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
15. भाग-अ में चयनित आवेदक को तय समय पर निर्देशित उत्पाद के नमूने शबरी मिल्क पार्लर, डेयरी परिसर पर ही तैयार कर गठित कमेटी के समक्ष गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने होंगे। इस गुणवत्ता परीक्षण में उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाये उत्पादों के आधार पर आवेदक का चयन किया जाकर कार्यादेश दिया जावेगा।

भविष्य में संघ द्वारा अन्य निर्देशित स्थल पर अनुमत उत्पाद बनाने एवं बिक्री का कार्य अनुबंधकर्ता द्वारा इन्हीं नियम एवं शर्तों के तहत प्रतिदिन पूर्ण कराना होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दूध जलेबी एवं अन्य अनुमत खाद्य उत्पाद निर्माण कर बिक्री कार्य

आवेदन भरने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

1. आवेदन-फॉर्म की प्रति दुग्ध संघ उदयपुर की लेखा-शाखा से दिनांक 05.02.2026 दोपहर 1.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आवेदन शुल्क रु 590/- जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। जमा आवेदन शुल्क वापस देय नहीं होगा।
2. संघ द्वारा खोले जाने वाले आवेदन दो भागों में होगा।
भाग-अ जो कि तकनीकी आधार पर होगा जिसे लिफाफे में बंद कर उस पर विषय स्पष्ट लिखकर विपणन कार्यालय में दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 3.00 बजे तक ड्रॉप-बॉक्स में डालना होगा। समय पश्चात किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
भाग-ब, भाग-अ के चयनित आवेदक को तय दिनांक / समय पर संघ द्वारा निर्देशित उत्पाद के नमूने शबरी मिल्क पार्लर, डेयरी परिसर पर ही तैयार कर गठित कमेटी के समक्ष गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने होंगे। इस गुणवत्ता परीक्षण में उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाये उत्पादों के आधार पर आवेदक का चयन किया जाकर कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. आवेदन-फॉर्म के भाग-अ में वर्णित सभी आवश्यक जानकारी हेतु प्रमाणित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे, साथ ही धरोहर राशि रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जोकि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के पक्ष में बनाया गया हो, भी संलग्न करना होगा।
4. अनुबंध स्वीकृत करते समय आवेदक का इस क्षेत्र में अनुभव, उत्पाद की गुणवत्ता परीक्षण में उसका वरीयता कम दोनों को ध्यान में रखा जावेगा।
5. अनुबंधकर्ता ठेकेदार को संघ द्वारा संचालित शबरी/किसान पार्लर पर प्रबंध संचालक/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप, वांछित समयावधि में, उपभोक्ताओं को तैयार ताजा दूध जलेबी, पनीर पकोडा, आलू पनीर समोसा, पनीर वेज पीजा एवं पनीर मसाला डोसा, पॉव-भाजी, पनीर चिली, छोला-भटूरा, ग्रील सेन्डवीच, कोल्ड कॉफी विद आईसकीम इत्यादि अनुमत उत्पाद उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों पर (मेला, समारोह इत्यादि पर) भी निर्देशानुसार स्वीकृत उत्पाद उपलब्ध करवाने होंगे। इस हेतु अनुबंधकर्ता ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
6. दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा उदयपुर शहर के अन्य स्थानों पर भी **शबरी पार्लर/किसान मिल्क पार्लर** की तर्ज पर दूध जलेबी व अन्य उत्पाद बनाने का काउंटर चालु करने पर आवेदक इन्हीं नियम एवं शर्तों के तहत कार्य करने होगा जिसके लिये उसे अपने स्तर पर स्टॉफ का नियोजन व अन्य व्यवस्था करनी होगी।
7. प्राप्त आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर अथवा संबंधित फर्म की सील मय हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किये जावें।
8. आवेदन-फॉर्म के भाग-अ के साथ धरोहर राशि रुपये का डिमांड-ड्राफ्ट संलग्न ना करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

9. आवेदक को सभी प्रकार के उत्पाद दूध जलेबी, पनीर पकोडा, आलू पनीर समोसा, पनीर वेज पीजा एवं पनीर मसाला डोसा, कुल्फी, पॉव-भाजी, पनीर चिली, छोला-भटूरा कोल्ड कॉफी विद आईसक्रीम जो कि वर्तमान में बनाये एवं बिक्री किये जा रहे हैं उनको संघ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर बिक्री करने होंगे। वर्तमान दरें परिशिष्ट-अ में संलग्न की गई हैं।
10. इस क्षेत्र के अनुभवी एवं सक्षम तथा वर्तमान में विभिन्न दुग्ध संघ पार्लरों पर कार्यरत फर्म के आवेदन को प्राथमिकता दी जावेगी।
11. अनुबंधकर्ता अपने स्तर पर निर्धारित मानकों एवं उत्पाद बिक्री दरों में परिवर्तन नहीं कर सकेगा और निर्देशित अनुमत उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पाद तैयार/बिक्री नहीं कर सकेगा।
12. अनुबंधकर्ता वर्तमान में चल रहे उत्पादों के अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन/बिक्री करना चाहेगा तो उसे संघ में लिखित में आवेदन करना होगा, इस संबंध में उचित समझे जाने पर संघ द्वारा दर निर्धारित कर लिखित अनुमति जारी की जावेगी।
13. सफल आवेदक की धरोहर राशि को अमानत राशि में जमाकर समायोजित कर लिया जावेगा एवं अन्य प्रतिभागियों की धरोहर राशि (डिमांड-ड्राफ्ट) प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर लौटा दी जावेगी।
14. सफल आवेदक की संघ में जमा अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
15. संघ के कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं संचालक मंडल के सदस्य अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदार इस आवेदन में भाग लेने हेतु योग्य नहीं होंगे।
16. आवेदन फॉर्म भरने संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी विपणन कार्यालय में संबंधित अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

दूध जलेबी एवं अन्य अनुमत खाद्य उत्पाद निर्माण कर बिक्री कार्य

विशेष नियम एवं शर्तें

1. अनुबंधकर्ता को शबरी पार्लर/किसान मिल्क पार्लर पर आवंटित कार्य (दूध जलेबी, पनीर पकोडा, आलू पनीर समोसा, पनीर वेज पीजा एवं पनीर मसाला डोसा, कुल्फी, पॉव-भाजी, पनीर चिली, छोला-भटूरा कोल्ड कॉफी विद आईसक्रीम इत्यादि अनुमत उत्पाद बनाकर बिक्री करने) हेतु दुग्ध संघ, उदयपुर में निम्नानुसार राशि अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी :-
 - अ. शबरी पार्लर दूध जलेबी काउन्टर के लिये अमानत राशि रु 1,00,000/- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व।
 - ब. किसान मिल्क पार्लर दूध जलेबी काउन्टर के लिये अमानत राशि रु 75,000/-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व।
 - स. शबरी पार्लर दूध जलेबी काउन्टर के लिये तीन माह की किराया राशि रु 45,000/- (कर अतिरिक्त) अग्रिम। व किसान मिल्क पार्लर दूध जलेबी काउन्टर के लिये तीन माह की किराया राशि रु 15,000/- (कर अतिरिक्त) अग्रिम।
 - स. शबरी पार्लर दूध जलेबी काउन्टर किराया राशि रु 15,000 (कर अतिरिक्त) प्रतिमाह। व किसान मिल्क पार्लर दूध जलेबी काउन्टर किराया राशि रु 5,000 (कर अतिरिक्त) प्रतिमाह।
 - द. प्रतिमाह की जाने वाली कुल बिक्री से प्राप्त राशि का निर्धारित **4 % (चार प्रतिशत)** कर अतिरिक्त प्रतिमाह।
 - य. प्रतिमाह विद्युत खर्च के वास्तविक व्यय का भुगतान उक्त कार्य हेतु अलग से लगे सबमीटर की रीडिंग के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित प्रतियूनिट दर के हिसाब से (विद्युत विभाग द्वारा दरें बदलने पर परिवर्तनीय)।
2. अनुबंधकर्ता को प्रतिदिन उपयोग में लिये जाने वाले दूध एवं दूध पदार्थ, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दर पर नकद भुगतान आधार पर संघ कार्यालय से बिल कटवाकर, प्लांट/एफ0जी0एस0 से प्राप्त करने होंगे।
3. वर्तमान में कार्यावंटन एक वर्ष हेतु आवंटित किया जावेगा। कार्य संतुष्टिप्रद पाये जाने पर व आपसी सहमति से आगामी एक वर्ष हेतु बढ़ाया जावेगा। प्रबंध संचालक द्वारा कार्य का नया अनुबन्ध होने तक आगामी तीन माह तक की अवधि इन्ही नियम शर्तों पर बढ़ायी जा सकेगी, जो अनुबन्धक को मान्य होगी।
4. सफल अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य आवंटित समयावधि से पहले कार्य को बन्द करता है तो कार्य बन्द करने से पूर्व दो माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अनुबन्धक की अमानत राशि को जप्त कर ली जावेगी।
5. भविष्य में संघ द्वारा अन्य निर्देशित स्थल पर उपरोक्त अनुमत उत्पाद बनाने एवं बिक्री का कार्य अनुबंधकर्ता द्वारा इन्हीं नियम एवं शर्तों के तहत प्रतिदिन पूर्ण कराना होगा।
6. अनुबंधकर्ता को संघ द्वारा संचालित शबरी/किसान मिल्क सरस पार्लर पर संघ के निर्देशानुसार, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वांछित समयावधि में, उपभोक्ताओं को ताजा कढ़ाई **दूध जलेबी, पनीर**

पकोडा, आलू पनीर समोसा, पनीर वेज पीजा एवं पनीर मसाला डोसा, कुल्फी, पॉव-भाजी, पनीर चिली, छोला-भटूरा कोल्ड कॉफी विद आईसक्रीम इत्यादि अनुमत उत्पाद तैयार कर उपलब्ध कराने होंगे।

- 1) प्रभारी पार्लर के निर्देश एवं समयानुसार दूध जलेबी एवं अन्य अनुमत उत्पाद प्रतिदिन की माँग के अनुसार तैयार करने होंगे। समय सारणी में संघ द्वारा किये गये परिवर्तन अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे। विशेष अवसर शादी, त्यौहार आदि पर उत्पादों की अतिरिक्त माँग होने पर अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त कर्मकार लगाकर समय पर कार्य संपादित कराना होगा।
- 2) उत्पादों का विक्रय मूल्य दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं निर्धारित दरों पर ही उत्पादों का विक्रय सुनिश्चित कराना होगा। निर्धारित विक्रय दरों में परिवर्तन हेतु अनुबंधकर्ता को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर दुग्ध संघ की सहमति उपरान्त ही प्रस्तावित नयी दरें लागू की जावेगी। दूध जलेबी काउन्टर पर उत्पादों की बिक्री राशि का संग्रहण संघ द्वारा पार्लर पर लगाये गये कर्मचारी द्वारा किया जावेगा।
- 3) किसी भी कारणवश कार्यालय समय पश्चात/अवकाश के दिन अनुबंधकर्ता को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की दूध जलेबी काउन्टर पर जरूरत पड़ती है तो उसे शबरी पार्लर/किसान मिल्क पार्लर से नकद भुगतान आधार पर सरस उत्पाद खरीदकर उपयोग में लेना होगा।
- 4) प्रतिदिन कार्य समाप्ति उपरान्त संबंधित अनुबंधकर्ता के नियुक्त प्रतिनिधी के हस्ताक्षर उपरान्त निम्नानुसार अंतर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

अंतर राशि = प्रतिदिन की बिक्री राशि – औसत दैनिक व्यय (निर्धारित 4 % प्रतिशत हिस्सा मय विधुत खर्च एवं ऐग्रीमेन्ट राशि प्रतिमाह का मासिक औसत आधार पर)

- 5) उक्त कार्य हेतू गैस भट्टी, बर्तन एवं अन्य आवश्यक साजो सामान दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कार्य हेतु कर्मशियल एलपीजी गैस की रिफिलिंग अनुबंधकर्ता को स्वयं करानी होगी। अतिरिक्त सामान की आवश्यकता होने पर अनुबंधकर्ता को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। अनुबंध समाप्त होने पर उक्त सामान संघ को लौटाना होगा व कमी होने पर उसकी राशि अनुबंधकर्ता की अमानत राशि से समायोजित कर ली जावेगी।
- 6) प्रतिदिन उपभोक्ता को उत्पाद उपलब्ध कराने से पूर्व में सफाई कार्य एवं उसके पश्चात उपभोक्ता द्वारा फेकें गये कुल्हड/अन्य डिस्पोसेबल को हटाने एवं सफाई का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित कराना आवश्यक होंगा। जो सभी उत्पादों को बनाने हेतु कच्चा माल एवं इस प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के डिस्पोशेबल (प्लेट, कुल्हड, चम्मच, ग्लॉस, पेपर नेपकीन इत्यादि) अनुबंधकर्ता के स्वयं के होंगे।
- 7) उपरोक्त कार्य हेतु संघ कार्यालय से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दर पर नकद भुगतान आधार पर सरस उत्पाद घी, पनीर एवं फुल क्रीम मिल्क (गोल्ड दूध), टेबल बटर प्राप्त कर उपयोग में लेना अनिवार्य होगा।
- 8) दूध जलेबी व अन्य उत्पाद तैयार करने के लिये संघ द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप कच्चे माल से आवश्यकतानुसार उत्पाद की मात्रा तैयार कर मापदण्डों के अनुरूप बिक्री करनी होगी। पनीर पकोडा, वेज पनीर पीजा एवं अन्य उत्पाद बनाने हेतु फ्रेश कच्चा माल एवं एगमार्क के मसाले उपयोग में लेने होंगे एवं इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करानी होगी।

पनीर पकोड़ा, आलू पनीर समोसा, जलेबी एवं अन्य स्वीकृत उत्पाद में सरस घी का ही उपयोग करना होगा ।

- 9) संघ द्वारा निर्धारित मापदण्डों विक्रय मूल्य (परिशिष्ट-अ संलग्न) के अनुरूप उत्पादों की बिक्री ना करने अथवा खाद्य अपमिश्रण करते पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- 10) अनुबंधकर्ता के कर्मकार उसके स्वयं के नियोजन में रहेंगे एवं संघ में उनके द्वारा होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु स्वयं अनुबंधकर्ता जिम्मेवार होगा।
- 11) खाद्य व्यवसाय एवं नियोजित कर्मकार से संबंधित सभी सरकारी औपचारिकताओं जैसे जी0एस0टी0, पी.एफ., ई.एस.आई., खाद्य अनुज्ञा-पत्र, फूड सेफ्टी एक्ट आदि की संपूर्ण जिम्मेवारी अनुबंधकर्ता की स्वयं की होगी एवं सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज अपने पास संरक्षित रखने होंगे। इस संदर्भ में उत्पन्न विवाद सुलझाने एवं इस कारण आरोपित शास्ति जमा कराने की एकमात्र जिम्मेवारी अनुबंधकर्ता की स्वयं की होगी। राज्य सरकार के खाद्य-विभाग एवं सक्षम निकाय के द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर संघ एक तरफा कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में बिक्री बंद करने का निर्णय लिये जाने पर अनुबंधकर्ता द्वारा कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।
- 12) उपरोक्त खाद्य व्यवसाय, संघ द्वारा निर्देशित सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करने हेतु अनुबंधकर्ता बाध्य होगा। निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
- 13) उपरोक्त वर्णित कार्य अहस्तान्तरणीय होगा। पार्लर पर आवंटित कार्य के अतिरिक्त कार्य एवं उस हेतु उपयोग में लिया गया स्थान स्वयं अनुबंधकर्ता के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- 14) दुग्ध संघ, उदयपुर के अधिकारियों को निरीक्षण करने, कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों का सेम्पल लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अनुबंधकर्ता को प्रतिदिन तैयार माल की गुणवत्ता परीक्षण संघ की प्रयोगशाला में करवाना होगा।
- 15) अन्य नियम एवं शर्तें सम्मिलित करने की जरूरत होने पर सात दिवस का नोटिस देकर नये नियमों एवं शर्तों को भी उपरोक्त शर्तों में संलग्न माना जावेगा तथा आवेदन फॉर्म में संलग्न सभी शर्तों को अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
- 16) कर्मकार किसी भी संक्रमित बीमारी से ग्रसित ना हो एवं कार्य के समय निर्धारित गणवेश/आवश्यक एप्रेन ही पहनें। कच्चे माल को तैयार करते समय सेनिटाईजर से हाथों को सेनिटाईज करें ताकि तैयार उत्पाद की शुद्धता एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। कार्य के दौरान किसी भी निषेध पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित होगा।
- 17) अनुबंधकर्ता को सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि कार्य-स्थल पर गंदगी ना हो।
- 18) सभी उत्पाद हमेशा फ्रेश तैयार कर ही ग्राहकों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराने होंगे। बिक्री के समय काउन्टर पर उत्पाद ढक कर रखने होंगे।

- 19) प्रतिदिन कार्य समापन पश्चात काम में आने वाले बर्तन एवं स्थानों को दूसरे दिन के कार्य हेतु स्वच्छ एवं साफ करके जाना सुनिश्चित करावें।
- 20) सरस उत्पाद की बिक्री के तौल हेतु तौल एवं माप के मानक मापक-यंत्र को ही उपयोग में लाया जावें एवं ग्राहकों को बिल कटाये जाने के पश्चात ही उत्पाद इश्यु किये जावें। प्रतिदिन किये जाने वाले उत्पाद की बिक्री का विवरण तथा संघ कार्यालय से प्राप्त दुग्ध/दुग्ध पदार्थों के बिल की कॉपी प्रभारी पार्लर को दूसरे दिन आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
- 21) सभी उत्पादों को तैयार करने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी (मिलावट या मिलावट की चेष्टा) करने, नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने एवं उदयपुर दुग्ध संघ के आदेशों की अवहेलना करने पर आवंटित कार्य बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है तथा अमानत राशि पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है।
- 22) अनुबंधकर्ता किसी भी परिस्थिति में सरस ब्रॉड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों के अलावा किसी भी अन्य ब्रॉड/खुले दूध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रयोग नहीं करेगा।
- 23) प्रबंध संचालक, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के पास बिना कारण बताये किसी भी समय कार्यावंटन का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 24) अनुबंधकर्ता के अधीन कार्य कर रहे कर्मकारों में से यदि किसी कर्मकार का व्यवहार एवं कार्यक्षमता में यदि प्रशासन को कोई कमी अथवा असमान्यता पायी जाती है तो उस कर्मकार को आप द्वारा कार्य-स्थल से तुरंत हटाना होगा।
- 25) अनुबंधकर्ता ठेकेदार एवं उसके अधीन कर्मकारों को संघ द्वारा जारी निर्देश की पालना में शिथिलता बरतनें, ग्राहकों/संघ के स्टॉफ या अन्य किसी से अभद्र व्यवहार करने, कार्य-स्थल एवं आस-पास के क्षेत्र में निर्देशित मापदण्डों के अनुसार साफ सफाई आदि व्यवस्थायें नहीं होने या अन्य किसी भी अनियमितता के पाये जाने पर संघ प्रशासन को अनुबंधकर्ता पर नकद शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा एवं बार-बार शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में कार्य का आवंटन रद्द किया जा सकेगा।
- 26) अनुबंधकर्ता ठेकेदार को सफलतापूर्वक आवेदन अवधि पूर्ण करने के पश्चात संघ के समस्त अनुभाग द्वारा "बकाया नहीं" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसकी जमा अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
- 27) अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

कार्यादेश में वर्णित एवं उपरोक्त क्रम सं० 1 से 6 (क्र०सं० 1 से 27) की नियम एवं शर्तों के अनुरूप सभी उत्पाद बनाने एवं बिक्री करने हेतु मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर
गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
फोन नं. :- 2640188 मेल आईडी : saras @milk union udaipur.com

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर द्वारा बिक्री कार्य हेतु निर्धारित मानक मापदण्ड

परिशिष्ट - ए

ब. दूध जलेबी हेतु निर्धारित मापदण्ड :-

क्र.सं.	केसर जलेबी (प्रति 100 किलो)	मात्रा	क्र.सं.	केसर पिस्ता युक्त दूध	मात्रा
1	मैदा	17.50 किलो	1	गोल्ड दूध	100 लीटर
2	बेसन	4.50 किलो	2	केसर	4.00 ग्राम
3	चीनी	37.00 किलो	3	पिस्ता + बादाम	500 ग्राम
4	सरस घी	34.00 किलो	4	चीनी	8.00 किलो
5	केसर	4.00 ग्राम	5	ईलायची	20 ग्राम
6	ईलायची	20.00 ग्राम			
तैयार जलेबी 100 किलोग्राम			तैयार दूध - 425 कुल्हड (200 मिली, मलाई, चीनी)		

नोट :- प्रत्येक 100 ग्राम जलेबी के कच्चे माल से 15 से 20 जलेबी के पीस अनुबंधकर्ता को बनाने होंगे।

अ. शबरी पालर/किसान मिल्क पालर पर तैयार उत्पाद हेतु कच्चे माल का निर्धारित मापदण्ड :-

क्र.सं.	उत्पाद	पनीर मात्रा	हल्दी, मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, चाट मसाला	आलू, हरी मिर्च, धनिया, अदरक आदि	मैदा	सरस घी	टमाटर	टमाटो सॉस एवं चीली	प्याज	चीज	ब्रेड कम्ब	कुल वजन	विवरण
1	पनीर मसाला डोसा	45 ग्राम	100 ग्राम मय प्याज	85 ग्राम	—	40 ग्राम	—	—	—	—	—	270 ग्राम	—
2	आलू पनीर समोसा	20 ग्राम	10 ग्राम	30 ग्राम	30 ग्राम	10 ग्राम	—	—	—	—	—	100 ग्राम	—
3	पनीर पकोडा	56 ग्राम	10 ग्राम	3 ग्राम	8 ग्राम	8 ग्राम	—	—	—	—	15 ग्राम	100 ग्राम	8 से 10 पीस
4	पनीर वेज पीजा	30 ग्राम	—	20 ग्राम शिमला मिर्च	—	—	20 ग्राम प्यूरी	20 ग्राम	20 ग्राम	40 ग्राम	200 ग्राम	350 ग्राम	—
क्र.सं.	स्वीकृत उत्पाद		दूध/पनीर/छोला / पॉव/ब्रेड	काँफी एवं शक्कर	वेजिटेबल, एगमार्क मसाले/साथ में प्रयुक्त	सरस घी	सरस बटर	वनीला आईसक्रीम					
1	काँफी	1 नंग	150 ग्राम गोल्ड दूध	2 ग्राम नेस्केफे, 10-15 ग्राम शक्कर	—	—	—						
2	कोल्ड काँफी विद आईसक्रीम	1 नंग	150 ग्राम गोल्ड दूध	2 ग्राम नेस्केफे, 10-15 ग्राम शक्कर	—	—	—	पैकड					
3	पॉव-भाजी	1 नंग	1 पॉव	—	100 ग्राम मय 40 ग्राम सिरका प्याज	10 ग्राम	20 ग्राम						
4	पॉव एक्सट्रा	1 नंग	—	—	—	—	—						
5	पनीर चिली	1 नंग	100 ग्राम सरस पनीर	—	100 ग्राम (प्याज, लसन, शिमला, आरारोट, वाईपपर, अजीनोटो, चीली सॉस, रैड सॉस, सोया	40 ग्राम	—						
6	छोला-भटूरा	1 नंग	100 ग्राम छोला	90 ग्राम भटूरा 2 पीस	ग्रेवी मसाला, सरस पनीर, सलाद, नींबू, आचार	60 ग्राम	—						
7	गील सेन्डवीच	1 नंग	2 पीस ब्रेड	—	मेयोनेज, वेजिटेबल (सब्जियाँ), ग्रीन चटनी,	—	—						

नोट :- सरस पनीर, घी, मिल्क, चीज सभी उत्पाद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दर पर नकद भुगतान द्वारा कार्यालय से बिल कटा एफजीएस से उपयोग हेतु लेजाना होगा। तैयार उत्पाद हेतु मसाले एवं मैदा एगमार्क होना आवश्यक है। उत्पाद तैयार करने हेतु आलु प्याज, ब्रेड, हरी मिर्च, हरा धनिया सभी प्रतिदिन ताजा उपयोग में लेना होगा।

कच्चे माल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर बिक्री किये जाने वाले उत्पाद की दरों में वृद्धि या कमी किये जाने का निर्णय आपसी सहमति से उदयपुर डेयरी प्रशासन द्वारा लिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर
 गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
 फोन नं. :- 2640188 मेल आइडी : saras@milk union udaipur.com

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

परिशिष्ट - बी

अ. शहरी पार्लर/किसान मिल्क पार्लर पर तैयार उत्पाद के विक्रय हेतु वर्तमान विक्रय दर निम्नानुसार रहेंगी :-

क्र.सं.	उत्पादों का विवरण	युनिट	विक्रय राशि/युनिट
1	कढ़ाई दूध	कुल्हड	30.00
2	जलेबी	100 ग्राम प्लेट	40.00
3	पनीर पकोडा	100 ग्राम प्लेट	60.00
4	पनीर समोसा	1 नग	25.00
5	पनीर मसाला डोसा	1 नग	120.00
6	पनीर वेज पीजा	1 नग	150.00
7	पॉव-भाजी	1 नग	90.00
8	एक्सट्रा पॉव	1 नग	20.00
9	छोला-भटूरा	1 नग	120.00
10	पनीर चिली	1 नग	120.00
11	कॉफी	1 नग	20.00
12	ग्रील सेन्डवीच	1 नग	90.00

आवेदक के हस्ताक्षर